दिनांक	आज्ञा पत्र
12/11/3	पत्रावली पेश। अधि० उभयपक्ष हाजिर। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई। बहस मुताबिक आदेश व जवाब आवेदन के रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के हितों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व सबूतों के आधार पर किया जाना है तथा दौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर वाद बाहुल्यता के बढ़ने की संभावना है तथा प्रार्थी के हित प्रभावित भी हो सकते हैं। अतः वाद बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने के लिए तथा प्रार्थी के हितों की रक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 61 रकबा 2.55 हैक्टर वाके कस्बा सीकर तहसील व जिला सीकर की भूमि पर तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सीकर